दैनिक भास्कर
बिलासपुर 12-09-2025

हाई कोर्ट का फैसला • निजी शैक्षणिक संस्थानों की याचिका खारिज

प्रदेश के 8000 निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा ESIC का कानून

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि प्रदेश के निजी, सहायता प्राप्त और आंशिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 यानी ईएसआई एक्ट लागू होगा। प्रदेश के विभिन्न विभिन्न स्कूलों ने ईएसआई में अंशदान देने के राज्य सरकार और ईएसआईसी के नोटिस को चुनौती दी थी। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब प्रदेश के 8 हजार से अधिक निजी, सहायता प्राप्त और आंशिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को आदेश का पालन करना होगा।

राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक संस्थानों को भी ईएसआई एक्ट के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इसके तहत 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों को 1 अप्रैल 2006 से इस एक्ट का पालन करना अनिवार्य किया गया था। इसके बाद वर्ष 2011 में ईएसआईसी ने कई स्कूलों को नोटिस जारी कर अंशदान राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की। शेष | पेज 3

भास्कर इनसाइट

शैक्षणिक संस्थानों के डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

अनुपम सिंह | बिलासपुर

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेशभर के लगभग 7975 निजी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान ईएसआई के दायरे में आ जाएंगे। इसका सीधा फायदा इन संस्थानों में कार्यरत करीब 96500 से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद संस्थानों को अब ईएसआई का अंशदान देना, इससे संबंधित कर्मचारियों अब बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में कानूनी तौर पर सुरक्षा प्राप्त होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्थिति में कुल 56802 सरकारी, निजी, अनुदान प्राप्त स्कूलें हैं, इसमें से निजी 7382, अनुदान प्राप्त 413 और अन्य 180 स्कूल हैं। यहां शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या करीब 96500 से अधिक है। वहीं, 50 हजार से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं।

सामाजिक सुरक्षा देना उद्देश्यः सरकार

राज्य सरकार-ईएसआईसी ने दलील दी कि अधिनियम का मकसद कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा देना है। यह कानून केवल कारखानों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू हो सकता है जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी हों। यदि इस अधिनियम को शिक्षा संस्थानों से बाहर रखा गया तो हजारों कर्मचारी अपने हक से वंचित हो जाएंगे।